उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

संख्या-4/4055/71-आयुष-1-2014-306/2014

लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-212/31/डी0आर0/एस-11/2006-07 दिनांक 12 सितम्बर, 2014 द्वारा किये गये चयन की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत डा0 मिथिलेश वर्मा पुत्र श्री राम शब्द वर्मा, ग्राम एवं पो0 कैथी जलालपुर, जिला-सुल्तानपुर, उ0प्र0 को वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-7600 में प्रोफेसर, कौमार भृत्य के पद पर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त अभ्यर्थी को राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी में संबंधित प्रधानाचार्य के अधीन तैनात किया जाता है।

(2) उक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में यदि किसी प्रकार के प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(3) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(4) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू प्रवृत्त होगी।

(5) उक्त अभ्यर्थी पर उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापको की सेवा नियमावली, 1990 एवं संशोधित नियमावली, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(6) राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जहाँ नवनियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना है, वह एक माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लें इस अवधि के भीतर वह अपनी तैनाती के महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थित होंगे तथा नीचे प्रस्तर-8 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वह इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर अपनी योगदान की सूचना नहीं देते है तो उनका अभ्यर्थन एवं नियुक्ति आदेश स्वत: समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

(8) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

shasanadesh.up.nic.in

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ-पत्र।

3- उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4- एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

5- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

6- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

7- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(9) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता सुसंगत नियमों एवं लोक सेवा आयोग से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

बी0एस0 भुल्लर
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/4055(1)/71-आयुष-1-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

3- निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ0प्र0, लखनऊ।

4- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलहाबाद को उनके पत्र संख्या-212/31/डी0आर0/एस-11/2006-07 दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को गजट में प्रकाशनार्थ।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/बरेली।

7- प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया नियुक्त प्रोफेसर से परस्तर-8 में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त करके योगदान करायें तथा योगदान रिपोर्ट शासन को एक सप्ताह में प्रेषित करने का कष्ट करें।

8- प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि डा0 मिथिलेश वर्मा, रीडर को नियमानुसार कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।

9- डा0 मिथिलेश वर्मा, रीडर/विभागाध्यक्ष, कौमार भृत्य विभाग, एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, बांसमण्डी, बरेली, उ0प्र0 (रजिस्टर्ड डाक से)।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

shasanadesh.up.nic.in